

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/204/2019

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

प्रभूदयाल बैरवा से0नि0लि0 मकान नं0 6 डी
सोमनाथ नगर गुर्जर छात्रावास के पीछे
दौसा-राज0।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अंति0 जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 16-12-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2167 दिनांक 11.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 04.10.19 के संबंध में
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत हस्तातरित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा जा चुका है-जिसकी प्रति प्रार्थी को भी प्रेषित की गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर ने अवगत कराया कि अपीलार्थी को पत्रांक 87-88 दिनांक 5.9.19 से उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 161 दिनांक 13.12.19 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)